यमुना जल साझाकरण हेतु समझौता

चर्चा में क्यों?

हरियाणा ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर से पानी साझा करने के लिये **राजस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें विशेष रूप से** बरसात के दिनों में हथनीकुंड बैराज से अतिरिक्त पानी बहता है।

मुख्य बिंदु:

- समझौते के अनुसार, **दोनों राज्य हथनीकुंड बैराज की पश्चिमी यमुना नहर से पाइपलाइन** बिछाने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- तीन पाइप **सीकर, झुंझुनू और चूरू ज़िलों के लिये** होंगे, जबकि **दादरी ज़िले के माध्यम से दक्षिणी हरियाणा** की ओर पानी ले जाने हेतु एक अतिरिक्त पाइप बिछाया जाएगा।

सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर

- इस मुद्दे की मूल जड़ वर्ष 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किये जाने के बाद **वर्ष 1981 का एक विवादास्पद जल-बँटवारा समझौता है।**
- **पंजाब:**
  - पंजाब पड़ोसी राज्यों के साथ किसी भी **अतिरिक्त जल के बंटवारे का कड़ा विरोध** करता है। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पंजाब में अतिरिक्त जल की कमी है और पिछले कुछ वर्षों में उनके जल आवंटन में कमी हुई है।
  - **वर्ष 2029** के बाद पंजाब के कई क्षेत्रों में **जल समाप्त** हो सकता है और सिंचाई के लिये राज्य पहले ही अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है क्योंकि गेहूँ तथा धान की खेती करके यह केंद्र सरकार को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है।
  - राज्य के लगभग **79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन** है और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है।
- **हरियाणा:**
  - पंजाब, **हरियाणा** के हिस्से का जल उपयोग कर रहा है, इसलिये **हरियाणा बढ़ते जल संकट** का हवाला देते हुए नहर के कार्य को पूरा करने की मांग करता है।
  - हरियाणा का तर्क है कि राज्य में सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराना कठिन है और **हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों** में पीने के पानी की समस्या है जहाँ भूजल स्तर 1,700 फीट तक कम हो गया है।
  - हरियाणा **केंद्रीय खाद्य पूल (Central Food Pool)** में अपने योगदान का हवाला देता रहा है और तर्क देता है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा किये गए मूल्यांकन के अनुसार उसे उसके **जल के उचित हिस्से से वंचित किया** जा रहा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pact-to-share-yamuna-water